22/6/18

[illegible stamp text] 2018

[illegible signature]

21/8/18

21/8/18 पत्रावली पेश हुई। वादी प्रार्थनापत्र उप[illegible]
[illegible]
वादी प्रार्थनापत्र द्वारा [illegible] न [illegible] का
[illegible] किया। वादी
लिखित बयान [illegible] किया। पत्रावली
प्रार्थनापत्र [illegible] बयान [illegible]
[illegible] किया [illegible] वादी प्रार्थनापत्र
[illegible]
[illegible] बयान [illegible]
[illegible] बयान [illegible]
[illegible] किया [illegible] है।
[illegible]
अतः वादी [illegible] लिखित [illegible]
[illegible] किया [illegible]
[illegible] पेश हो। पत्रावली
[illegible] है। [illegible] पेश हो।
[illegible]

[illegible stamp]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी- **श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.**

राजस्व वाद-पत्र संख्या : 35/2018
रुजु दिनांक : 24/04/2018
निर्णय दिनांक : 21/08/2018

1. रामगोपाल पुत्र भोलू
2. हनुमान पुत्र भोलू
3. रामेश्वर पुत्र भोलू
4. रामप्रसाद पुत्र भोलू

समस्त जातियान जाट, निवासीगण श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— वादीगण

बनाम

1. भोलू पुत्र हरलाल, जाति जाट, निवासी श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

**वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थिति – **श्री भंवरलाल जैन**
**श्री विनोद कुमार जैन**
**श्री राधेश्याम लक्षकार**
**श्री नानूराम खाभाई**
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
**श्री गिरधारीलाल वर्मा**
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
**प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।**

निर्णय दिनांक 21/08/2018

## –: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के आराजी खाता संख्या 137 के आराजी खसरा नम्बर 1728 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729 रकबा 1.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 2.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1755 रकबा 1.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1756 रकबा 2.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1761 रकबा 1.0900 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 9.6300 हैक्टेयर वाके ग्राम तुम्बीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिये तथा इसी अनुसार पक्षकारान वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सिजरा अंकित करते हुये दर्शित किया कि पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का एवं पैतृक सम्पति है। मुताबिक सिजरा पक्षकारान का पूर्वज अर्थात वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरलाल रहा हैं। जिसके नाम से विवादित आराजीयात का सम्वत 2011 में पर्चा जारी हुआ हैं विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात हैं, जो वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरलाल से जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1 प्राप्त हुई है, प्रतिवादी संख्या 1 के वादीगण एवं रमेशचन्द विधिक वारिश है, जिसमें से रमशचन्द सुरजकरण के गोद चला गया जिसका उक्त विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही रहा है, इसलिये मुताबिक हिन्दू उत्ताराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में उसके वारिशान अर्थात वादीगण का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर पक्षकारान काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है, जो गलत संगत में है, जिसका दीगर व्यक्तियों द्वारा बहला फुसला दिया है, जो विवादित आराजीयात का बैचान करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही हैं। दिनांक 23/04/2018 को जब वादीगण विवादित आराजीयात पर सार–संभाल करने गये तो वहां पर प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य दीगर व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, जब वादीगण ने इस बाबत उनसे पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को धमकी दी कि उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बैचान कर वादीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल किया जावेगा, जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शित पैतृक आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का, वादि संख्या 3 को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 4 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

जावे कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद-पत्र के पैरा संख्या 1 वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें न ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रय आदि नही करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनांक 27/04/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट श्री गिरधारीलाल वर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र, दस्तावेजात असल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल ग्राम मौजमाबाद, नकल सैटलमेन्ट सम्वत 2011 कुल किता-2, नकल फोटो कॉपी गोद-पत्र, नकल फोटो कॉपी आधारकार्ड, नकल फोटो कॉपी राशनकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक सिजरा अनुसार पक्षकारान का पूर्वज हरलाल रहा है, जो वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हैं जिनके नाम से विवादित आरीयात का सम्वत 2011 में पर्चा जारी हुआ हैं, जो पर्चा सैटलमेन्ट से बखूबी साबित हैं। विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण के पिता है, को जरिये विरासतन हरलाल से प्राप्त हुयी हैं। भोलू के वादीगण एवं रमेशचन्द पुत्र है, जिनमें रमेशचन्द गोद चला गया है जिस बाबत वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया है, इस प्रकार विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृिक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में वादीगण का कानूनन हक व हिस्सा बनता हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक पिता की सम्पति मे उसके सभी विधिक वारिशान का कानूनन हक व हिस्सा बनता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है विवादित आराजीयात बराबर-बराबर नाम दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिकी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज विवादित आराजीयात में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से के अनुसार खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 137 के आराजी खसरा नम्बर 1728, 1729, 1754, 1755, 1756, 1761 कुल किता 06 कुल रकबा 9.6300 हैक्टेयर वाके ग्राम तुम्बीपुरा तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/08/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज०।

राज. पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 [illegible]

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) प्रथम (फतह)

व इजलास श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर, आर.ए.एस.

1. रामनारायण 2. हनुमान 3. मोहन 4. रामस्वरूप पुत्रान मोतु [illegible] बनाम 1. [illegible] जाति जाट नि. [illegible] दावा बाबत घोषणा व स्था. निषे. [illegible] तह. मौजमाबाद

जाति - जाट नि. [illegible] मुकदमा नं. 351/2018

[illegible] मुकदमा आज हमारे इजलास [illegible] रूबरू 2. तहसीलदार, तह० मौजमाबाद

व हाजिरी श्री [illegible], श्री विनोद कुमार जैन

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री [illegible]

मिनजानिब मुद्दाअलेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी [illegible] खसरा नं. 138 के [illegible] 1728, 1729, 1754, 1755, 1756, 1761 कुल किता 06 कुल रकबा 8.6300 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible], तहसील मौजमाबाद में [illegible] वादीगण एवं [illegible] का [illegible] काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे का [illegible]

तारीख अदायगी रकम ................ फीसदी ...... सालाना की दर से

...... अदा करे।

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 08 सन 2019 को

जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]
सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रैक) दूदू

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दाअलेह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प [illegible] | | |
| स्टाम्प दस्तावेज सबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| मेहनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।